

पत्रांक 15/जी 1-01/2018  
बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक .....2018

विषय :- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों को वेतनादि/नियमित सेवान्त लाभ/बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु वेतनादि/गैर-वेतनादि मद में रूपये 813,12,25,545/- (आठ सौ तेरह करोड़ बारह लाख पच्चीस हजार पाँच सौ पैतालीस रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों ( पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना को छोड़कर ) एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक/घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को माह जून 2018, से माह अगस्त, 2018 तक तथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र को माह अप्रैल, 2018 से माह अगस्त, 2018 तक वेतनादि मद में भुगतान हेतु रूपये 405,45,99,963/- (चार सौ पाँच करोड़ पैतालीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ तिरेसठ), मात्र का व्यय विषय शीर्ष 31.04 सहायक अनुदान वेतन से तथा विधिवत् रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को उक्त अवधि के नियमित सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रूपये 295,79,93,845/- (दो सौ पंचानवे करोड़ उनासी लाख तिरानवे हजार आठ सौ पैतालीस रूपये) एवं समोदश संख्या 17619/2016 श्री कृष्णकान्त सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ कतिपय विश्वविद्यालयों को बकाया सेवान्त लाभ के मद में भुगतान हेतु रूपये 111,86,31,737/- (एक सौ ग्यारह करोड़ छियासी लाख एकतीस हजार सात सौ सैंतीस) मात्र अर्थात् गैर-वेतनादि मद में भुगतान हेतु कुल रूपये 407,66,25,582/- (चार सौ सात करोड़ छियासठ लाख पच्चीस हजार पाँच सौ बेयासी) मात्र का व्यय विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर-वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक में संशोधित बजटीय उपबंध से करने की स्वीकृति निम्नवत् दी जाती है:-

उपरोक्त -

40)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	वेतनादि मद की राशि माह जून, 18 से अगस्त, 18 तक स्वीकृत की जाने वाली राशि (31.04)	जून 18 से अगस्त 18 तक नियमित सेवान्त लाभ भुगतान हेतु गैर-वेतनादि मद में स्वीकृत की जाने वाली राशि (31.06)	समादेश संख्या 17619/2016 श्री कृष्णकान्त सिन्हा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ बकाये सेवान्त लाभ के मद में अनुमान्य राशि (31.06)	योग स्तम्भ 3+4 (31.06)	कुल राशि (स्तम्भ 2 एवं 5 का योग)
	1	2	3	4	5	6
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना	216360768	176331871	224819217	401151088	617511856
2	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	395266650	546764791	312619652	859384443	1254651093
3	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	466921158	651892515	425552983	1077445498	1544366656
4	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	281219721	264148755	260000000	290148755	571368476
5	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	207688272	170479756	29639885	200119641	407807913
6	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	245959545	272241933	0	272241933	518201478
7	तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर	329682630	367505336	0	367505336	697187966
8	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	492586761	450000000	100000000	550000000	1042586761
9	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	129338823	58628888	0	58628888	187967711
10	मौलना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	5481150	0	0	0	5481150
11	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	1036742250 (माह अप्रैल, 18 से अगस्त, 18 तक)	0	0	0	1036742250
12	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	120260049	0	0	0	120260049
13	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	127092186	0	0	0	127092186
कुल राशि		4054599963	2957993845	1118631737	4076625582	8131225545

स्तम्भ 3 में वर्णित गैर वेतनादि मद की राशि से जून 2018 से अगस्त 2018 तक विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन भुगतान तथा इस अवधि में उदभूत विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मियों के अन्य देय पावनाओं का भुगतान किया जा सकेगा।

2018

2. स्वीकृत की जा रही राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट शीर्ष "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता- मांग संख्या 21-0001- पटना विश्वविद्यालय विपत्र कोड़- 21.2202.03.102.0001.31.04 सहायक अनुदान-वेतन तथा 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, 0002-मगध विश्वविद्यालय, विपत्र कोड़- 21.2202.03.102.0002.31.04 सहायक अनुदान-वेतन तथा 31.06 -सहायक अनुदान- गैर वेतन, 0003- बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, विपत्र कोड़- 21.2202.03.102.0003.31.04 सहायक अनुदान-वेतन तथा 31.06 -सहायक अनुदान-गैर वेतन, 0004-जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा विपत्र कोड़- 21.2202.03.102.0004.31.04 सहायक अनुदान-वेतन तथा 31.06 -सहायक अनुदान- गैर वेतन, 0005- वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा विपत्र कोड़- 21.2202.03.102.0005.31.04 सहायक अनुदान-वेतन तथा 31.06 -सहायक अनुदान- गैर वेतन, 0008 बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा विपत्र कोड़- 21.2202.03.102.0008.31.04 सहायक अनुदान-वेतन तथा 31.06 -सहायक अनुदान- गैर वेतन, 0009 भागलपुर विश्वविद्यालय विपत्र कोड़- 21.2202.03.102.0009.31.04 सहायक अनुदान-वेतन तथा 31.06 -सहायक अनुदान- गैर वेतन, 0011- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, विपत्र कोड़- 21.2202.03.102.0011.31.04 सहायक अनुदान-वेतन तथा 31.06 -सहायक अनुदान- गैर वेतन, 0012 कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा विपत्र कोड़- 21.2202.03.102.0012.31.04 सहायक अनुदान-वेतन तथा 31.06 -सहायक अनुदान- गैर वेतन, 0016 मौलाना मजहूरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय के विपत्र कोड़ 21.2202.03.102.0016.31.04 सहायक अनुदान वेतन, 0024- पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, विपत्र कोड़- 21-2202031020024.31.04 सहायक अनुदान-वेतन, 0025-पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ, विपत्र कोड़- 21-2202031020025.31.04 सहायक अनुदान-वेतन एवं 0027- मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर विपत्र कोड़- 21-2202031020027.31.04 सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत होगा।

3. स्वीकृत की जा रही राशि की गणना राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों को वेतनादि/गैर वेतनादि मद में माह फरवरी 2018 हेतु स्वीकृत की गई राशि के आधार पर की गई है। नये विश्वविद्यालयों यथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ एवं मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर स्वीकृत की जा रही राशि की गणना उनके पैतृक विश्वविद्यालयों को वेतनादि मद में माह फरवरी 2018 हेतु स्वीकृत की गई राशि के आधार पर की गई है। साथ ही विश्वविद्यालय मुख्यालय में पदाधिकारियों के वेतनादि की गणना विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदनों में अंकित संख्या बल के आधार पर की गई है।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से प्राप्त 1045 दिनांक 16.07.2018 द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों की प्राप्त सूची के आलोक में गोस्वामी लक्ष्मीनाथ मधुसूदन संस्कृत महाविद्यालय, बनगाँव, सहरसा, राजेश्वर ठाकुर संस्कृत महाविद्यालय, राघोपुर, गोड़ीयारी, नित्यानंद संस्कृत महाविद्यालय,

०२/०८-

अमरौत एवं विद्यानंद संस्कृत महाविद्यालय, संकटमोचनधाम, दरभंगा को संबन्धन नहीं रहने के कारण उन महाविद्यालयों की वेतनादि हेतु गणना नहीं की गयी है। उक्त सूची में अंकित चार अन्य महाविद्यालयों ब्रह्मदेव उदासीन संस्कृत महाविद्यालय हाजीपुर, महंत शतानंद गिरि हरिहर संस्कृत महाविद्यालय, बोधगया, जगजीवन अभ्युदय संस्कृत महाविद्यालय, अभ्युदयनगर, बांका एवं मिशिला संस्कृत महाविद्यालय ससौलासभा, सीतामढी का संबन्धन विभागीय स्तर से अस्वीकृत किये जाने के कारण पूर्व में ही वेतनादि की गणना सूची से हटाया जा चुका है।

4. वर्तमान में स्वीकृत राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतनादि/गैर वेतनादि मद में राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा:-

(i) वेतनादि/पेंशनादि का भुगतान वैसे ही शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त हुए हैं।

(ii) दिनांक 01.01.1996 के बाद तथा दिनांक 19.04.2007 के पूर्व जिन शिक्षकों को भुगतान किया जा रहा है, उनकी प्रोन्नति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1976 के धारा 58 (10) के आलोक में आयोग की सहमति तथा 20.04.2007 से विश्वविद्यालय चयन समिति का अनुमोदन संबंधी परिनियमों में विहित प्रावधानों तथा विभागीय पत्रों के अधीन प्राप्त है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि से जिन शिक्षकों का भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 35 की उप धारा -(2) एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 की उप धारा (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

(iv) शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार के पत्र 2374 दिनांक 29.07.2010 की कंडिका 01 (10), 02 (10) तथा संकल्प के एपेंडिक्स-01 की उप कंडिका (ii) में अंकित निदेशों एवं शर्तों के आधार पर किया जायेगा तथा शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 के द्वारा स्वीकृत वेतनमान में भुगतान किया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बने परिनियमों एवं राज्य सरकार के निदेशों एवं न्यायादेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वांछित अर्हता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(vi) तत्काल चतुर्थ चरण में नवअंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के

अनुपालन में मात्र वैसे शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि की गणना की गयी है, जो न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल समिति की प्रतिवेदन एवं सिविल अपील संख्या 6098/97 में पारित न्यायादेश के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत पदों या दिनांक 30.04.1986 तक अनुशंसित पद के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त किसी भी कर्मों का भुगतान किया जाना अनियमित एवं गैर कानूनी होगा।

(vii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा- (02) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक कोटि में माना जाना है, जो दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.09.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थे।

(viii) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक-01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं है तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिये निर्धारित सभी नियमों, बन्धेजों तथा अन्य सभी शर्तों का विश्वविद्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का ढील या फेरबदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(ix) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्मों को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(x) पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1674, दिनांक 16.08.2012 में अंकित निदेशों के आधार पर किया जाएगा।

(xi) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 5859/1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 9839/2001 में दिनांक 16.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस क्रम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(xii) राज्य सरकार ने हड़ताल की अवधि की अनुपस्थिति को विनियमित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 508 दिनांक 01.03.2012 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के संदर्भ में पूर्व में लिए गए निर्णय "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त को अक्षुण्ण रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत

अति

महाविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति को भी असाधारण "अवैतनिक" अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय संसूचित किया है। अतः राज्य सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की किसी प्रकार की हड़ताल अवधि के वेतनादि का भुगतान, उक्त अवधि के विनियमन में राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जायेगा।

(XIII) वैसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मियों को भुगतान करने का स्पष्ट न्यायादेश है, तो उन मामलों में भी उपलब्ध करायी गयी राशि से प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(XIV) स्वीकृत की गयी सेवान्त लाभ की राशि में से देयता के पश्चात यदि राशि अवशेष रहती है तो विश्वविद्यालय के वैसे सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा सकेगा जो विश्वविद्यालय सेवा से विधिवत् रूप से नियुक्ति होकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध भुगतान अनुमान्य हो।

(XV) बकाया सेवान्त लाभ के मद में स्वीकृत की जाने वाली राशि से सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर अधिमान कम में तथा न्यायालयीय वादों के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xvi) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जाएगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा -35 (3) तथा 52 (3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामलों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 35 (3) एवं 52 (6) के अंतर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमान्ड रिक्वरी एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरुद्ध न केवल प्रशासनिक कार्यवाही बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

5. शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-वे0स0को0 4657/2013-57 दिनांक 13.02.15 में दिये गये निदेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक जिनका वेतन सत्यापन हेतु आवेदन दिनांक 28.02.15 तक वेतन सत्यापन कोषांग को प्राप्त नहीं कराया गया है, मार्च 2015 से उनके मूल वेतन का 25 प्रतिशत राशि कटौती कर उन्हें वेतन भुगतान किये जाने का निदेश दिया गया है। तदनुसार ही वैसे शिक्षकों को कटौती सहित भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उत्पत्ति -

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान हेतु पूर्ण राशि विमुक्त की जा रही है। जिन शिक्षकों के वेतन से कटौती की जा रही है, उन शिक्षकों के लिए स्वीकृत/विमुक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में सुरक्षित रखी जाएगी।

6. सेवा निवृत्ति लाभ के मद में भुगतान के समय विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि त्रिलाभ योजना के अधीन विभागीय राज्यादेशों एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल किसी सेवानिवृत्त शिक्षक को सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

7. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. राज्य के सभी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत राशि एवं इससे संबंधित विवरणी को आवश्यकतानुसार शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में स्वीकृत एवं कर्णाकित की गई राशि में आवश्यक परिवर्तन एवं आवश्यकतानुसार न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा यथा आवश्यक निदेश भी दिया जा सकेगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 (2) दिनांक 15.10.2007, पत्र संख्या 5374 दिनांक 19.06.2015 तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक) के पत्रांक टी0एम011-877-907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में रूपये 813,12,25,545/- ( आठ सौ तेरह करोड़ बारह लाख पच्चीस हजार पाँच सौ पैतालीस रूपये) मात्र की विमुक्ति निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार की जायेगी तथा उसकी निकासी विकास भवन स्थित सचिवालय कोषागार से BTC -46/51 पर सेवा शीर्ष से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर करने हेतु अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाएगा।

10. राशि संबंधित विश्वविद्यालयों के पी0एल0 खातों में हस्तांतरण/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। इस राशि की निकासी पटना, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आवंटन आदेश निर्गत करने के पश्चात होगी।

11. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 यथा संशोधित 4443 दिनांक 14.06.2018 के आलोक में संचिका के पृष्ठ 39/टि0 पर दिनांक 26-7-18 को वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12. स्वीकृत्यादेश पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाषी,  
(अरशद फ़िरोज)  
सरकार के उप सचिव  
26/7/18


34)

ज्ञापांक 15/जी 1-01/2018.....31./

पटना,दिनांक.....26/7/2018

प्रतिलिपि- निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय/आय-व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी-09, वित्त विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड पटना/ सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा/अवर सचिव-सह-निकोसी एवं व्ययन पदाधिकारी शिक्षा विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी-5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग तथा सभी सहायक एवं लेखापाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. आई0टी मैनेजर, शिक्षा विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।,

  
(अरशद फिरोज)  
सरकार के उप सचिव  
उच्च शिक्षा